

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा सुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 11/2021-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मई, 2021

सां कांनि°..... (अ)-आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 45 के उपनियम (3) के अनुसरण में, बोर्ड के अनुमति से, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार को पारेषित मालों या किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार से वापस आये मालों के संबंध में, **प्ररूप जीएसटी आईटीसी - 04** में प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा करने की समय सीमा को एतद्वारा मई 2021 के 31 वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. यह अधिसूचना अप्रैल 2021 के 25 वें दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

[फा. सं. सीबीईसी- 20/06/08/2020-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार